३. ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएँ

३.१ ग्राम पंचायत
३.२ पंचायत समिति
३.३ जिला परिषद

समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं । हमारे देश में इन शासन संस्थाओं के साथ-साथ संघ शासन व राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहता है । स्थानीय शासन संस्थाओं का मोटे तौर पर ग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है । इस पाठ में हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे । ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप में 'पंचायती राज्य व्यवस्था' या पंचायती राज कहते हैं ।

क्या तुम जानते हो ?

हमारे देश में तीन स्तरों पर शासनकार्य चलता है । संपूर्ण देश का शासन संघ शासन चलाता है । रक्षा, विदेश नीति व मुद्रा आदि विषय संघ शासन के अंतर्गत आते हैं । द्वितीय स्तर पर राज्य का शासन होता है । महाराष्ट्र शासन कानून, सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बनाता है । तृतीय स्तर पर स्थानीय शासन संस्थाएँ होती हैं । ग्रामीण भागों में स्थानीय शासन संस्थाओं को 'पंचायती राज्य व्यवस्था' कहते हैं ।

स्थानीय शासन संस्थाएँ

ग्रामीण	नगरीय
ग्राम पंचायत	नगर पंचायत
पंचायत समिति	नगरपालिका
जिला परिषद	महानगरपालिका

३.१ ग्राम पंचायत

प्रत्येक गाँव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है । जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ५०० से कम हैं; ऐसे दो अथवा दो से अधिक गाँवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है, इसे 'ग्राम पंचायत खंड' कहते हैं । पेयजल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, जन्म-मृत्यु और विवाह का पंजीकरण आदि कार्य ग्राम पंचायत करती है ।

ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी :

सरपंच : ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद होते हैं । निर्वाचित सदस्य अपने में से एक का सरपंच और एक का उपसरपंच करके चुनाव करते है। ग्राम पंचायत की सभाएँ सरपंच की अध्यक्षता में होती हैं । गाँव की विकास योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है । यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता है तो सदस्य उसके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं । सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम पंचायत के कामकाज को संभालता है ।

ग्राम सेवक : ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है । ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है । ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना आदि कार्य 'ग्राम सेवक' करता है ।

ग्राम सभा : ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गाँव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं । स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्त्वपूर्ण संगठन है ।

प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की छह बैठकें होना अनिवार्य है । ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है । प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृतांत, आय-व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है । ग्राम सभा

की सूचना ग्राम पंचायत को दी जाती है । ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है । शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन-से लोग पात्र हैं; यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है ।

ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान : ग्राम सभा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है । वहाँ महिलाएँ अधिक खुलकर और सहज होकर विविध प्रश्नों पर विचार-विमर्श करती हैं । पेयजल, शराबबंदी, रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकती हैं । आवश्यक परिवर्तन लाने के उपाय भी बताती हैं ।

ग्राम पंचायत की आय के स्रोत : गाँव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएँ व उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास धन होना आवश्यक होता है । ग्राम पंचायत विविध करों के माध्यम से धन एकत्र करती है ।

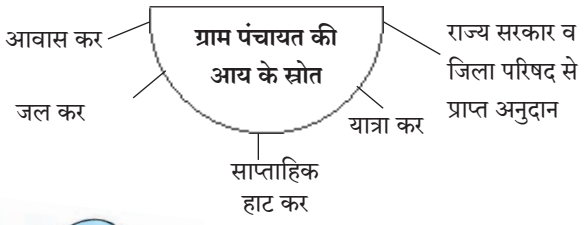

३.२ पंचायत समिति

प्रत्येक तहसील में सभी गाँवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है । विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है । ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़नेवाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है ।

पंचायत समिति के पदाधिकारी : पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद होते हैं। पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है । पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है । सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पंचायत समिति का प्रशासन कार्य चलाता है ।

पंचायत समिति के कार्य :

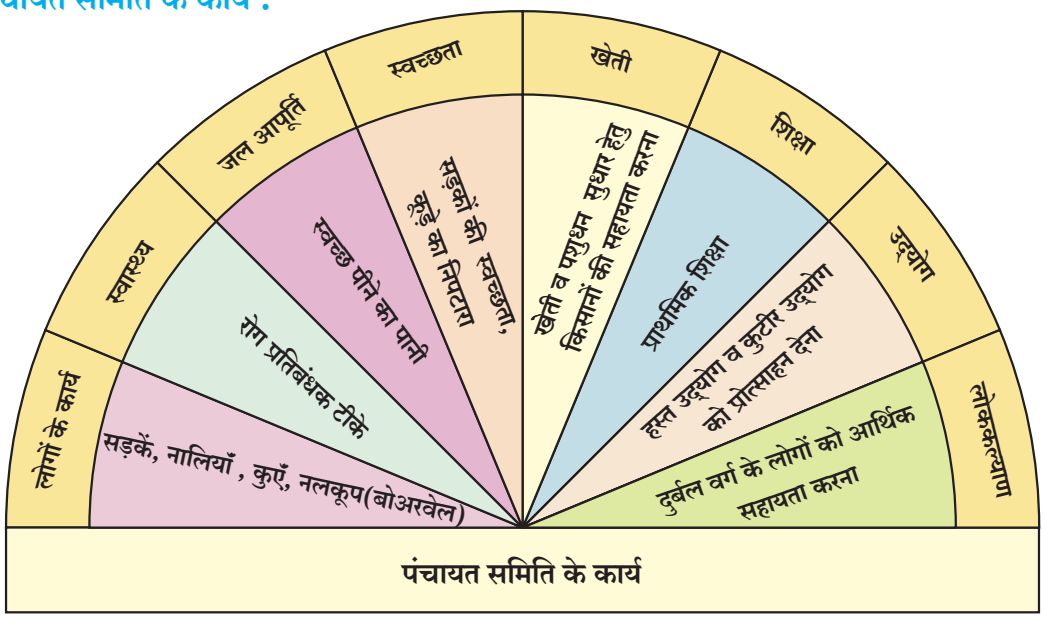

विकास खंड को जो कार्य करने चाहिए; उनकी योजनाओं का प्रारूप पंचायत समिति तैयार करती है । प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम-से-कम एक सभा होना अनिवार्य है ।

पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है । विकास खंड द्वारा पूर्ण की जानेवाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है ।

३.३ जिला परिषद

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होती है । महाराष्ट्र में ३६ जिले हैं परंतु जिला परिषदें ३४ ही हैं, क्योंकि मुंबई (नगर) और मुंबई उपनगर जिले ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र नहीं हैं, इसलिए वहाँ जिला परिषद नहीं है ।

जिला परिषद के पदाधिकारी : जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष में होते हैं । जिला परिषद में चुनकर आए हुए पार्षद अपनों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं ।

जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद अध्यक्ष के पास होता है । सभाओं का कार्य उसके नियंत्रण में चलता है । जिला परिषद की आर्थिक गतिविधियों पर अध्यक्ष का नियंत्रण होता है ।

जिला परिषद के कोष का उचित और आवश्यकतानुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद अध्यक्ष को होता है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्य उपाध्यक्ष करता है ।

क्या तुम जानते हो ?

जिला परिषद का प्रशासन कैसे चलता है ?

जिला परिषद का कामकाज विविध समितियों द्वारा चलाया जाता है । जैसे-वित्त समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन व स्वच्छता समिति आदि । महिला व बालकल्याण समिति महिलाओं और बालकों के विषयों पर विचार करती है ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी : जिला परिषद द्वारा लिये गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है । इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है ।

तुम क्या करोगे ?

कल्पना करो कि तुम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो । तुम अपने जिले के लिए किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दोगे ?

जिला परिषद के कार्य :

शिक्षा विषयक सुविधाएँ

स्वास्थ्य विषयक सुविधाएँ

जल आपूर्ति

खेती के बीजों की आपूर्ति

बिजली की सुविधा

गाँव के परिसर में पेड़ लगाना

क्या करोगे ?

दिनेश और नयना को निम्न कार्यों के लिए कहाँ भेजोगे ?

- छोटे भाई को टीका लगवाने के लिए .....
- अपने पिता जी के साथ (७/१२(सातबारा) का) भूमि का पट्टा लाने के लिए .....
- नई खादों के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए .....
- अशुद्ध जल आपूर्ति की शिकायत करने हेतु.....
- जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए .....
- आय/जाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए .....

क्या तुम जानते हो ?

१९९२ में ७३ व ७४ वाँ संविधान संशोधन किया गया । इस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। परिसर का विकास पूरी कार्यक्षमता से करने हेतु इन संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई । उनके अधिकार क्षेत्र के विषय भी बढ़ाए गए । ये संस्थाएँ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें; इसलिए उनकी आर्थिक आय के स्रोतों में भी वृद्धि की गई ।

पंचायती राज्य व्यवस्था – एक दृष्टि में

अध्यक्ष ←	जिला परिषद	→ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभापति ←	पंचायत समिति	→ खंड विकास अधिकारी
सरपंच ←	ग्राम पंचायत	→ ग्राम सेवक
↓		↓
मतदान द्वारा चुने जाते हैं ।		राज्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

क्या तुम जानते हो ?

चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है ?

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में चुनकर आने के लिए प्रत्याशी को कुछ शर्तें पूर्ण करनी पड़ती हैं । जैसे-चुनाव में खड़ा होनेवाला प्रत्याशी भारत का नागरिक हो । उसकी आयु २१ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए । उसका नाम स्थानीय मतदाता सूची में होना चाहिए । योग्यता की ये शर्तें नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए भी लागू हैं ।

स्थानीय शासन संस्थाएँ – ग्रामीण

ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
सदस्य संख्या		
न्यूनतम ०७ अधिकतम १७	न्यूनतम १५ अधिकतम ४५	न्यूनतम ५० अधिकतम ७५
पदाधिकारी		
सरपंच उपसरपंच	सभापति उपसभापति	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
अधिकारी		
ग्राम सेवक	खंड विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्वाध्याय

१. उचित विकल्प के सामने (✓) चिह्न लगाओ ।

(१) प्रत्येक गाँव का स्थानीय प्रशासन .....चलाती है ।
ग्राम पंचायत ☐ पंचायत समिति ☐ जिला परिषद ☐

(२) प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम ..... सभाएँ होना अनिवार्य है ।
चार ☐ पाँच ☐ छह ☐

(३) महाराष्ट्र में इस समय .....जिले हैं ।
३४ ☐ ३५ ☐ ३६ ☐

२. सूची तैयार करो ।

पंचायत समिति के कार्य

३. तुम्हें क्या लगता है; बताओ ।

(१) ग्राम पंचायत विविध कर निर्धारित करती है ।

(२) महाराष्ट्र में कुल जिलों की अपेक्षा जिला परिषदों की संख्या कम है ।

४. तालिका पूर्ण करो ।

मेरी तहसील, मेरी पंचायत समिति

(१) तहसील का नाम .....

(२) पंचायत समिति सभापति का नाम.....

(३) पंचायत समिति उपसभापति का नाम.....

(४) खंड विकास अधिकारी का नाम .....

(५) खंड शिक्षा अधिकारी का नाम.....

५. संक्षेप में जानकारी लिखो:

(१) सरपंच

(२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उपक्रम :

(१) अभिरूप ग्राम सभा का आयोजन करके सरपंच, सदस्य, नागरिक, ग्राम सेवक की भूमिका निभाओ ।

(२) बालसंसद की रचना स्पष्ट करने वाली तालिका तैयार करो और कक्षा के दर्शनीय भाग पर चिपकाओ ।

(३) तुम्हारे परिसर अथवा शहर के पास की जिला परिषद द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी एकत्र करो ।

* * *

7199DE